सदस्य तृतीय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, श्रृंखला न्यायालय विजयराघवगढ़, जिला कटनी (म.प्र.)
(समक्ष – के.एन. अहिरवार)

MACC NO.	524/2022
(C.I.S.) Filling No.	1027/2022
Registration Date	10-05-2022
C.N.R.No.	MP2101004709/2022

01. मोहन सिंह गोंड पिता स्व. लखन सिंह गोंड उम्र लग. 55 वर्ष
02. छोटी बाई गोंड पति मोहन सिंह गोंड उम्र लग. 52 वर्ष
03. अजय सिंह गौड़ पिता मोहन सिंह गोंड उम्र लग. 25 वर्ष

सभी निवासी वार्ड नं–06, ग्राम पथरहटा, डोगरी टोला, सिंगौड़ी, तह०–विजयराघवगढ़, जिला कटनी (म.प्र.)

...............आवेदकगण

:: **विरूद्ध** ::

01. उमेश कुमार कुशवाहा पिता रामदास कुशवाहा उम्र लगभग 32 वर्ष
निवासी– ग्राम–कन्हवारा, थाना–विजयराघवगढ़,
तहसील एवं जिला–कटनी (म.प्र.)
(अंर्तग्रस्त यान मोटरसायकिल क्रमांक–MP 21-ME-3403 का चालक एवं मालिक)

02. इफको टोकियो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड,
द्वारा शाखा प्रबंधक पता – दूसरी मंजिल, शिवहरे कॉम्पलेक्स,
माधवनगर गेट के पास, कटनी (म.प्र.)
(अंर्तग्रस्त यान मोटरसायकिल क्रमांक–MP 21-ME-3403 का बीमा कंपनी)

.............अनावेदकगण

आवेदक द्वारा	–	श्री संजय साहू अधिवक्ता।
अनावेदक क्रं.1 द्वारा	–	श्री अजय जायसवाल अधिवक्ता।
अनावेदक क्रं. 2 द्वारा	–	श्री अरविंद पांडेय अधिवक्ता।

// **अधिनिर्णय** //
(आज दिनांक 27.07.2024 को घोषित)

01. आवेदकगण ने अनावेदकगण के विरूद्ध प्रस्तुत क्षतिपूर्ति याचिका अन्तर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम 1988/1994 दिनांक 23.02.2022 का दोपहर लगभग 12–1 बजे स्थान मेन रोड ग्राम पथरहटा के पास अंतर्गत थाना बरही, जिला कटनी म. प्र. में अनावेदक 1 ने स्वयं के स्वामित्व के वाहन मोटर सायकिल क्रमांक MP21 ME 3403 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाते हुये विजय सिंह गौड़ को टक्कर मारकर उसकी कारित मुत्यु के प्रतिकर स्वरूप, अनावेदकगण से 60,00,000/– रूपये और उस पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज दिलाये जाने का निवेदन किया है।

02. आवेदक की ओर से आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम प्रस्तुत क्षतिपूर्ति दावा के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दुर्घटना दिनांक 23.02.2022 को मृतक विजय सिंह गोंड पैदल रोड के किनारे–किनारे से ग्राम पिपरियाकलां से अपने ग्राम पथरहटा की तरफ जा रहा था कि दोपहर लगभग 12–1 बजे वाहन मोटरसाईकल क्रं– MP21-ME-3403 के चालक ने मोटरसाईकल को बड़ी तेज रफ्तार लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से वाहन को चलाते हुये पैदल जा रहे व्यक्ति विजय सिंह गोंड को पीछे से जोरदार टक्कर मार दिया जिससे विजय सिंह गोंड को सिर, पेट व शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोंटे आई, जिसे प्राईवेट वाहन से सी.एच. सी. विजयराघवगढ़ ले जाया गया जहाँ चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज कर चोटों की गंभीरता को देखते हुये शासकीय अस्पताल कटनी रेफर कर दिया। शासकीय अस्पताल कटनी के अतिरिक्त अन्य अस्पतालों में इलाज कराया गया। निरंतर इलाज के दौरान मेडीकल कॉलेज जबलपुर में सड़क दुर्घटना के कारण आई चोंटों से दिनांक–29.03.2022 को विजय सिंह गोंड की मृत्यु हो गई। मृत्यु उपरांत मृतक के शव का परीक्षण मेडीकल कॉलेज जबलपुर के चिकित्सकों द्वारा किया गया। शव परीक्षण पश्चात् शव को मृतक के परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया जिसे परिजनों द्वारा प्राईवेट वाहन से अपने निवास स्थान ले जाकर उसका अंतिम संस्कार हिन्दु रीति–रिवाज अनुसार किया गया। उक्त घटना की सूचना पर दुर्घटना कारित करने वाले वाहन मोटरसाईकल क्रं– MP21-ME-3403 को पुलिस थाना बरही

जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा जप्त पुलिस थाना बरही, जिला कटनी द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 उमेश कुमार कुशवाहा के विरूद्ध अपराध क्रमांक 243 / 22 धारा 279, 304ए भादवि का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

03. आवेदकगण की ओर से आगे यह भी अभिवचन किया गया है कि मृतक दुर्घटना के समय 20 वर्ष की थी, तथा मजदूरी का काम करता था, जिससे उसे 10,000 / – दस हजार रूपये प्रतिमाह की आय प्राप्त होती थी जिससे परिवार का उदर पोषण होता था उक्त दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण आवेदकगण का सहारा छीन गया है। आवेदिका क्रमांक 1 एवं आवेदक क्रमांक 2 मृतक के माता पिता है और मृतक की आय पर आश्रित थे। अतः वाहन दुर्घटना में मृतक की कारित मृत्यु के लिए अनावेदकगण के विरुद्ध विभिन्न मदों अधीन कुल 60,00,000 / – रूपये की यह क्षतिपूर्ति हेतु याचिका प्रस्तुत किया है।

04- प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है जिसके अभिवचनों का सारांश यह है कि अनावेदक क्रमांक 1 के वाहन से किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हुई है ना ही उक्त वाहन से विजय सिंह गौंड की मृत्यु हुई है। अनावेदक क्रमांक 01 उमेश कुमार मोटर सायकल क्रमांक–MP-21-ME-3403 का चालक तथा प्रश्नगत वाहन का मालिक है तथा अनावेदक क्रमांक 02 बीमा कंपनी है। आवेदक ने पुलिस से मिली भगत करके झूंठा मुकदमा प्रतिकर राशि प्राप्त करने के आशय से प्रस्तुत किया है। अनावेदक क्रमांक 01 वैध एवं प्रभावी लायसेंसधारी चालक है। प्रश्नगत वाहन को अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा अनावेदक क्रमांक 02 के यहां संपूर्ण जोखिम अदायगी हेतु बीमित कराया गया है। इसलिए दुर्घटना प्रमाणित होने पर अनावेदक क्रमांक 02 बीमा कंपनी उत्तरदायी रहेगी। अतः अनावेदक क्रमांक 01 ने आवेदक की ओर से प्रस्तुत दावा को निरस्त कर क्षतिपूर्ति के दायित्व से मुक्त किए जाने का निवेदन किया है।

05. प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 0 ने अपना लिखित जवाबदावा प्रस्तुत कर आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत दावा के अभिवचनों को अस्वीकार कर अपने अतिरिक्त कथन के माध्यम से संक्षेप में यह व्यक्त किया है कि आवेदन के तात्विक अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए आश्रितता एवं आयु, आय, आदि तथ्यों को अस्वीकार किया है।

वाहन मोटरसायकिल क्र. MP-21 ME-3403 से दुर्घटना होने से इनकार किया है। आवेदक ने, अनावेदक कमांक 1 के साथ दुरभि संधि कर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतिरिक्त कथनों में प्रकट किया है कि दुर्घटना दिनांक 23.02.2022 की है तथा थाना में सूचना दिनांक 13.04.2022 को की गई है, तथा एफ.आई.आर. में बिलंब का कारण नहीं बताया गया है, तथा आवेदक एवं उसके परिजनों द्वारा भी अस्पताल में किस वाहन से ठोकर मारी गई है नहीं बताया गया है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदकगणों द्वारा क्लेम पाने की नियत से प्रश्नगत वाहन को पुलिस की मिली भगत से अनावेदक क्रमांक 1 से मिलकर झूठा अलिप्त कर फर्जी तथ्यों के आधार पर क्लेम प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगण द्वारा क्लेम के साथ मृतक के इलाज के बिल एवं पर्चे प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे स्पष्ट है कि मृतक का कोई इलाज नहीं हुआ है। यदि बाद में प्रस्तुत किये जाते है तो फर्जी एवं बनावटी होने से स्वीकार योग्य नहीं है। विपक्षी के द्वारा सत्यापन के आभाव में बीमाकृत होने से इंकार किया है। फिर भी बीमाधारक द्वारा विधि के अनुसार एक्सीडेन्ट सूचना इस विपक्षी को नहीं दी गई। जिससे बीमा धारक एवं आवेदकगण के मध्य दुरभि संधि होने से आवेदकगण इस विपक्षी से कोई क्षति राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

06. आगे जवाबदावा इस प्रकार है कि दण्डिक प्रकरण में यह विपक्षी अनभिज्ञ है, तथा न ही उसमें पक्षकार है, इस कारण साक्ष्य के अनुसार आवेदकगण को प्रकरण पूर्णतः सिद्ध करने का भार है। अन्यथा वह क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी नहीं है। यद्यपि इस विपक्षी द्वारा सत्यापन के आभाव में बीमाकृत होने से इंकार किया है, फिर भी प्रकरण के किसी प्रक्रम में यदि बीमाकृत होना पाया जाता है, तो भी मृतक के संबंध में कोई प्रीमियम पॉलिसी में आच्छदित न होने से आवेदन विरूद्ध इस विपक्षी काबिले निरस्ती है तथा वाहन के बीमा की शर्तों का उल्लंघन कर चलाये जाने से तथा बीमाधारक और इस विपक्षी के मध्य बीमा की संविदा होती है। उक्त संविदा के भंग होने से जो बीमा धारक की जानकारी में हुई है। इस विपक्षी का कोई दायित्व क्षतिपूर्ति के संबंध में नहीं रह जाता है। दुर्घटना दिनांक को वैध एवं प्रभावी चालक अनुज्ञप्ति होना चाहिये लेकिन दुर्घटना के समय चालक के पास वैध एवं प्रभावी चालक अनुज्ञप्ति न होने से बीमा की प्राथमिक शर्त का उल्लघन हुआ है। अतएव आवेदन विरूद्ध इस

विपक्षी काबिले निरस्ती है। मृतक की कोई निश्चित आय नहीं थी तत्संबंध में वह किसी भी प्रकार का भविष्यवर्ती आय प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है तत्संबंध में माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. का न्यायदृष्टान्त एम.ए.नं. 976 / 2015 श्रीमती किरण देवी बनाम अनिल कुमार निर्णय दिनांक 04.05.2019 अवलोकनीय है। जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टान्त नेशनल इश्योरेन्स कंपनी बनाम प्रणय सेठी 2017 (16) SCC 680 की विवेचना करते हुये अनुमानित आय पर भविष्यवर्ती आय (Future Prouspect) नहीं दिया जा सकता।

07. आगे जवाबदावा इस प्रकार है कि धारा 134सी मोटर यान अधिनियम के तहत बीमाधारक व चालक का यह वैद्याानिक उत्तरदायित्व था कि वह अनावेदक बीमा कम्पनी को बीमा पॉलिसी संख्यांक और विधि मान्यता की अवधि जो घटना की तारीख, समय और स्थान दुर्घटना में आहत और ड्राईवर का नाम और उसकी चालक अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां देते। बीमाधारक व चालक द्वारा उक्त बैद्यानिक उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया गया है, जिसके कारण अनावेदक बीमा कम्पनी किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के लिये उत्तरदायी नहीं है। धारा 158 (6) मोटर यान अधिनियम के तहत संबंधित थाना पुलिस का यह वैद्यानिक उत्तरदायित्व था कि वह वाहन से दुर्घटना कारित होने की दशा में 30 दिवस के भीतर उक्त वाहन की बीमा कम्पनी को उक्त दुघ टना की सूचना मय दस्तावेजों के दे, पुलिस थाना द्वारा अपना उक्त वैद्यानिक उत्तरदायित्व की अवहेलना करते हुये ऐसी कोई सूचना एवं दस्तावेज अनावेदक बीमा कम्पनी को नहीं दिये गये जिसके कारण क्लेम आवेदन पत्र बीमा कम्पनी के विरूद्ध सव्यय निरस्तगी योग्य है। यद्यपि इस विपक्षी द्वारा सत्यापन के अभाव में बीमाकृत होने से इंकार है, तथा बीमा अधिनियम की धारा 64 व्ही.वी. के अनुसार बिना सत्यापन के वाहन के बीमा का कोई प्रभाव नहीं होता है तथा पता चलने पर कि बीमा के संबंध में कोई प्रीमियम की अदायगी नहीं की गई है। इस विपक्षी का उक्त क्षतिपूर्ति का कोई दायित्व नहीं ठहराया जा सकता। अतएव प्रकरण विरूद्ध इस विपक्षी काबिले निरस्ती है। उपरोक्त उठाई गई अपत्तियों के अलावा बीमा कम्पनी अनावेदक क्रमांक 2 धारा 147 एवं 149 मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत अपना बचाव सुरक्षित करती है। बीमा कम्पनी अवाश्यकता अनुसार अपराधिक प्रकरण के विवेचना अधिकारी व अन्य साक्षियों

को साक्ष्य हेतु बुलाने प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों की वास्तविकता पता कर उन्हें प्रस्तुत करने एवं कोई भी नया बाद कारण उत्पन्न होने पर अपने जबाब दावे में संसोधन कर सकने का निवेदन करती है।

08. आगे जवाबदावा इस प्रकार है कि मोटरयान अधिनियम के अनुरूप वाहन स्वामी / बीमाधारक द्वारा दुर्घटना की सूचना इस विपक्षी को नहीं दी गई जिस कारण यह विपक्षी दुर्घटना के महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित नहीं कर सकता तथा बीमा धारक व उक्त क्लेम संबंध में आवेदकगण से दुरभि संधि है। जिस कारण मोटरयान अधिनियम के अनुरूप धारा 170 के अन्तर्गत सभी तथ्यों का बचाव प्राप्त करने का अधिकारी है। आयकर अधिनियम की धारा 266ए.ए. के अनुसार यदि एवार्ड राशि पर 50,000 / – रूपये से अधिक का भुगतान बीमा कंपनी को करना होता है तो ऐसी स्थिति में आयकर अधिनियम की धारा 194ए. (3) (9) व धारा 266ए.ए. के अनुसार 20 प्रतिशत का कटोत्रा ब्याज राशि में से काटना होगा व यदि आवेदकगण आयकर अधिनियम के अन्तर्गत जारी पेन कार्ड बीमा कंपनी को उपलब्ध कराते है तो उस स्थिति में आयकर अधिनियम की धारा 194ए. (3) (9) व धारा 266ए.ए. के तहत 50,000 / – रूपये से अधिक ब्याज राशि पर 10 प्रतिशत टैक्स काटकर एवार्ड राशि जमा करने हेतु दायी होगा और जो आयकर काटा जावेंगा, उसका प्रमाण पत्र जारी कर ही ब्याज का भुगतान किया जावेंगा, इसलिए मान्नीय न्यायालय से निवेदन है कि 50,000 / – रूपये से अधिक ब्याज का भुगतान बीमा कंपनी को करना होगा, उसमें आवेदक एवार्ड दिनांक के 30 दिन के अंदर अपना पैन कार्ड बीमा कंपनी को उपलब्ध करावें, उपलब्ध न करवाने की स्थिति में आयकर अधिनियम के अनुसार 50,000 / – रूपये से अधिक ब्याज राशि होने पर ब्याज राशि का 20 प्रतिशत कटोत्रा कर जमा किया जावेंगा, उसकी वसूली का अधिकार आवेदक को नही होगा। उपरोक्त को क्षतिपूर्ति अदायगी की स्वीकारोक्ति न समझा जावें। अतः आवेदन पत्र अपने विरूद्ध निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

09. उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर, इस क्षतिपूर्ति दावा के निराकरण हेतु निम्नलिखित वाद प्रश्नों की रचना की गई है, जिनके समक्ष विधि एवं तथ्यों की सम्यक विवेचना उपरांत मेरे द्वारा निकाले गये निष्कर्ष अंकित किए जा रहे है :–

क्रं.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या दिनांक 23.02.2022 का दोपहर लगभग 12–1 बजे स्थान मेन रोड ग्राम पथरहटा के पास अंतर्गत थाना बरही, जिला कटनी म.प्र. में अनावेदक 1 ने स्वयं के स्वामित्व के वाहन मोटर सायकिल कमांक MP21 ME 3403 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाते हुये विजय सिंह गौड़ को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की ?	**''अप्रमाणित ''**
2.	क्या उक्त दुर्घटना में विजय सिंह गोंड़ की मृत्यु कारित हुई है ?	**'' मृत्यु होना प्रमाणित परंतु प्रश्नगत वाहन से दुर्घटना होना प्रमाणित नहीं''**
3.	क्या दुर्घटना के समय मृतक विजय सिंह गोंड की आयु 20 वर्ष थी ?	**''आयु 19 वर्ष होना प्रमाणित''**
4.	क्या दुर्घटना के समय मृतक विजय सिंह गोंड की आय 10000 / – रूपये प्रतिमाह थी ?	**''आय 8,000 / –रूपये होना निर्धारित''**
5.	क्या क्या दुर्घटना दिनांक को वाहन मोटर सायकिल कमांक MP21 ME 3403 बीमित था एवं घटना दिनांक को बीमा शर्तों के उल्लंघन (वैध रजिस्ट्रेशन / ड्रायविंग लायसेंस आदि के बिना) में चलाया जा रहा था ? यदि हॉ, तो प्रभाव ?	**''वाहन बीमित होने के संबंध में सकारात्मक' एवं बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में चलाये जाने के संबंध में नकारात्मक पंरतु प्रश्नगत वाहन से दुर्घटना होना प्रमाणित नहीं''**
6.	क्या आवेदकगण, अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति के रूप में 60,00,000 / – रूपये प्राप्त करने का अधिकारी है? यदि हाँ तो किससे व कितनी ?	**''अप्रमाणित''**
7.	सहायता एवं व्यय ?	**''अधिनिर्णय अनुसार''**

–:: निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार ::–

वाद प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 के निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार

10. आवेदक की ओर से अपने पक्ष समर्थन में साक्षी स्वयं आवेदक मोहन सिंह गोंड एवं राजेन्द्र प्यासी को परीक्षित कराया है। आवेदक राजेन्द्र सिह गोंड के

अनुसार उसका पुत्र स्व. विजय सिंह गोंड था। वह मृतक स्व. विजय सिंह गोंड का पिता है। आवेदक कमांक 2 मृतक की माता हैं, आवेदक कमांक 3 मृतक का अविवाहित भाई है तथा आवेदकगण मृतक स्व. विजय सिंह गोंड के विधिक वारसान हैं। आवेदकगणों के अलावा मृतक स्व. विजय सिंह गोंड के अन्य कोई विधिक वारसान नहीं है। दुर्घटना दिनांक 23–02–2022 को उसका लड़का स्व. विजय सिंह गोंड पैदल रोड के किनारे–किनारे से ग्राम पिपरियाकलों से अपने ग्राम पथरहटा की तरफ जा रहा था कि, दोपहर लगभग 12–1 बजे, ग्राम पथरहटा मेन रोड पहुँचा, तभी वाहन मोटरसाईकल कं.– MP21-ME-3403 के चालक ने मोटरसाईकल को बड़ी तेज रफ्तार लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से वाहन को चलाते हुये पैदल जा रहे उसके लड़के विजय सिंह गोंड को पीछे से जोरदार टक्कर मार दिया जिससे विजय सिंह गोंड को सिर, पेट व शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोंटे आई, जिसे प्राईवेट वाहन से सी.एच.सी. विजयराघवगढ़ ले जाया गया जहाँ चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज कर चोटों की गंभीरता को देखते हुये शासकीय अस्पताल कटनी रेफर कर दिया। शासकीय अस्पताल कटनी से मेडीकल कॉलेज जबलपुर बेहतर इलाज हेतु ले जाया गया। निरंतर इलाज के दौरान मेडीकल कॉलेज जबलपुर में सड़क दुर्घटना के कारण आई चोंटों से दिनांक 29–03–2022 को उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। मृत्यु उपरांत उसके पुत्र के शव का परीक्षण मेडीकल कॉलेज जबलपुर के चिकित्सकों द्वारा किया गया। शव परीक्षण पश्चात शव को उनके सुपुर्द कर दिया गया जिसे प्राईवेट वाहन से अपने निवास स्थान ले जाकर उसका अंतिम संस्कार हिन्दु रीति–रिवाज अनुसार किया गया। उक्त घटना की सूचना पर दुर्घटना कारित करने वाले वाहन मोटरसाईकल कं– MP21-ME-3403 को पुलिस थाना बरही जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा जप्त कर अपराध पंजीबद्ध किया गया।

11. साक्षी ने आगे प्रकट किया कि दुर्घटना में मृत उसका पुत्र स्व. विजय सिंह गोंड, दुर्घटना के समय 20 वर्षीय शरीर से हष्ट–पुष्ट व्यक्ति था तथा किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं था एवं दुर्घटना होने के पूर्व मृतक स्व. विजय सिंह गोंड, मजदूरी का कार्य करके प्रतिमाह 10,000 / – रुपये की आमदन आमदनी कर लेता था। मृतक उसका पुत्र स्व. विजय सिंह गोंड जो भी आमदनी करता था, वह आवेदकगणों

को देता था तथा आवेदकगणों पर ही व्यय करता था एवं आवेदकगण मृतक पर ही आश्रित थे। मृतक उसका पुत्र स्व. विजय सिंह गोंड की मोटर यान दुर्घटना में अकाल मृत्यु हो जाने के कारण हम आवेदकगणों को अपार मानसिक तथा शारीरिक क्लेश हुआ है तथा अपूर्णनीय आर्थिक क्षति हुई है। दुर्घटना चालक के द्वारा तेजी एवं लापरवाही से चलाने के कारण कारित हुई है। पुलिस थाना बरही द्वारा उससे घटना के दिन एवं बाद में अस्पताल एवं थाने में पूछताछ कर उसके ब्यान लिये थे।

12. साक्षी द्वारा अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श पी–1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–2, आप्रकृतिक मृत्यु का पंजीकरण प्रदर्श पी–3, अकाल मृत्यु का पंजीकरण प्रदर्श पी–4, नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी–5, अपराध विवरण का फार्म प्रदर्श पी–6. पुलिस कथन (आलोक गुप्ता, मोहन सिंह गोड, राजेन्द्र प्यासी) प्रदर्श पी–7 लगायत 9, सम्पत्ति जप्ति पत्रक प्रदर्श पी–10, धारा 41 (क) का सूचना पत्र प्रदर्श पी–11, शव परीक्षण के लिये आवेदन एवं प्रतिवेदन प्रदर्श पी–12, मृतक का मुलाहिजा प्रदर्श पी–13, सी.एच.सी. विजयराघवगढ़ की बेडहेड टिकिट प्रदर्श पी–14 एवं 15, जिला चिकित्सालय कटनी की बेडहेड टिकिट एवं इलाज संबंधी दस्तावेज प्रदर्श पी–16 लगायत 19 प्रस्तुत किये हैं।

13. प्रतिपरीक्षण की कंडिका 7 में स्वीकार किया कि मृतक सडक किनारे पैदल चल रहा था। यह स्वीकार किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट 13.04.2022 को दर्ज कराई गई। स्वतः का कि दिनांक 29.03.2022 को ईलाज दौरान फौत होने पश्चात् मेडिकल कॉलेज जबलपुर में पोस्टमार्टम होकर वे शव को वापस लाकर अंतिम संस्कार करके अपने कार्यक्रम में व्यस्त था। तब तेरवी का कार्यक्रम से फरसत हुये तब पुनः थाने जाकर बयान दिये। कंडिका 17 में प्रकट किया कि घटना दिनांक 23.02.2022 को घटित हुई तथा थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट 13.04.2022 को दर्ज की गई। कंडिका 18 में स्वीकार किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलंब से दर्ज कराने का लेख नहीं है। स्वतः कहा कि दुर्घटना के कारण आई चोटों के कारण ईलाज चलने के कारण व फौत हो जाने के कारण रिपोर्ट देरी से दर्ज कराई गई। कंडिका 19 में स्वीकार किया कि दुर्घटना के पश्चात् मृतक विजय सिंह को शासकीयस अस्पताल वि.गढ घटना दिनांक 23.02.2022 को ले जाया गया था जिसका मुलाहिजा उसी

दिनांक को अस्पताल में किया गया था तथा उसने डॉक्टर को सड़क दुर्घटना होना बताया, वहां से अधिक चोट होने के कारण जिला अस्पताल कटनी रेफर कर दिया गया। उसके पुत्र की हालत गंभीर होने के कारण मेडिकल कॉलेज जबलपुर में रिफर कर दियसा था। 10,000 रूपये महीना आय प्राप्त करने संबंधी कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया है स्वतः कहा कि मजदूरी का कार्य जहां मिल जाता था वहां कर लेता था।

14. साक्षी मोहन सिंह गोंड के कथनों का समर्थन करते हुए साक्षी राजेन्द्र प्यासी आ.सा. 2 ने अपने कथनों में प्रकट किया कि दिनांक– 23–02–2022 को वह अपने मित्र आलोक गुप्ता के साथ ग्राम पिपरिया कलां से सिंगौड़ी की तरफ जा रहा था, उसके आगे–आगे एक मोटरसाइकल चल रही थी कि, दिन में करीब 12–1 बजे जैसे ही वह ग्राम पटरेहटा के पास पहुँचा, तभी उसके आगे–आगे चल रही मोटरसाइकल ने, सड़क किनारे जा रहे एक व्यक्ति को तेज रफतार लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से चलाकर पीछे से जोरदार टक्कर मारके घायल कर दिया एवं मोटरसाइकल वाला स्वयं भी गिर गया। घायल व्यक्ति को सिर, पेट एवं शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई थी। पास जाकर देखा तो वह उसके पास के गाँव के पास का विजय सिंह गौंड था। टक्कर मारने वाला मोटरसाइकल वाला भी रूका था, तब उसने उसका नम्बर देख लिया था जो कि, MP21-ME-3403 लिखा था। उसने उससे नाम पूछा था तो उसने अपना नाम उमेश कुशवाहा बताया था। घटना उसके सामने घटित हुई। घटना मोटरसाइकल क्रं.–MP21-ME-3403 के चालक के द्वारा तेज रफतार लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से चलाकर पीछे से जोरदार टक्कर मारने के कारण घटित हुई। घटना दिनांक को पुलिस ने उससे घटनास्थल पर एवं बाद में थाने बुलाकर उसके ब्यान लिये थे। उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी 9 है एवं प्रदर्श पी–1 के अंतिम प्रतिवेदन की साक्षियों की सूची में भी 'ब' से 'ब' भाग में उसका नाम अंकित है। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया किमृतक विजय सिंह के पीछे पीछे उसके पिता भी पैदल चल रहे थे। पुलिस ने उससे घटनास्थल में पूछताछ की थी। घ टनास्थल के पास रोड घुमावदार व ढालयुक्त है।

15. इसके अलावा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन की प्रति

प्रदर्श पी 1 जिसके अवलोकन से प्रकट हो रहा है कि धारा 279, 304ए भादवि. में मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी. 21 एम.ई. 3403 के चालक उमेश कुशवाहा के विरूद्ध प्रकरण में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। एफआईआर प्रदर्श पी 2 के अनुसार दिनांक 23.02.2022 की घटना होकर दिनांक 13.04.2022 को 1 माह 21 दिन विलंब से रिपोर्ट लेख की गई है। एफआईआर प्रदर्शपी 2 में मर्ग क्रमांक 0/22 दर्ज किया गया है। और अप्राकृतिक मृत्यु का पंजीकरण प्रदर्श पी 3 में दिनांक 09.03.2022 के समय 07:55 ए.एम. पर दिनांक सूचना 19.03.22 के 11:45 बजे फौती सड़क दुर्घटना सिर में चोट होने और दौरान ईलाजरत होने का उल्लेख है। परंतु सूचना वार्ड ब्वाय कृष्ण द्वारा दिया जाना उल्लेखित है परंतु सडक दुर्घटना में किस वाहन से दुर्घटना हुई स्पष्ट नहीं हैं आकस्मिक अकाल मृत्यु की सूचना प्रदर्श पी 4 में भी सड़क दुर्घटना होना का उल्लेख है परंतु किस वाहन से दुर्घटना हुई इसका उल्लेख नहीं है। शव पंचायतनामा प्रदर्श पी 5 में सडक दुर्घअना का उल्लेख है परंतु सडक दुर्घटना कैसे हुई इसका कोई उल्लेख नहीं है। नक्शा मौका प्रदर्शपी 6, कथन, आलोक, माहेन सिंह राजेन्द्र शुक्ला, प्रदर्श पी 7 लगायत 9 प्रस्तुत किये गये जो दिनांक 14.04.22 के है जिसमें प्रश्नगत वाहन से दुर्घटना होना अवश्य उल्लेखित है परंतु प्रकरण में धारा 133 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत वाहन स्वामी की कोई जानकारी उपलब्ध करने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है जबकि प्रदर्श पी 10 की कार्यवाही दिनांक 18.04.22 की है। शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी 12, एमएलसी प्रदर्श पी 13 जिसमें घटना का कारण का उल्लेख नहीं है एवं प्रदर्श पी 14 में भी चोटिल को चोटे कैसे आई इसका उल्लेख नहीं है। दस्तावेज प्रदर्श पी 16 में एलीज्ड फॉल फ्राम बाईक दिनांक 25.02.2022 को चिकित्सक द्वारा लिखा गया है। इससे पूर्व एमएलसी जिला हॉस्पिटल कटनी में चिकित्सक द्वारा टू डेज एच/ओ प्रदर्श पी 17 में फॉल फ्राम बाईक लेख किया गया है। इसके अलावा घटना दिनांक 23.02.2022 को एमएलसी प्रदर्श पी 13 के पश्चात् पुलिस को सूचना दिये जाने का कोई दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है जबकि दुर्घटना होने पर चिकित्सक का यह प्रथम दायित्व है कि वह पुलिस को दुर्घटना के संबंध में सूचित करें। प्रदर्श पी 4 का दस्तावेज दिनांक 29.03.2024 को मेडिकल कॉलेज जबलपुर से मेडिकल चौकी गढा को मृत्यु होने के साथ का उल्लेख करते हुए प्रेषित

किया है जोदिनांक 29.03.2022 का है। इससे पूर्व कोई भी सूचना पुलिस को दिया जाना अभिलेख पर नहीं है और डेढ माहसे अधिक समय के विलंब का कोई विलंब भी अभिलेख पर नहीं है चिकित्सक द्वारा दुर्घटना से ग्रसित व्यक्ति का फॉल फ्राम बाईक से चोटे आना उल्लेखित किया है। दस्तावेज प्रदर्श पी 1 के अवलोकन स प्रकट हो रहा है कि प्रथम गवाहान एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर अपराध में उमेश कुशवाहा की अपराध में संलिप्ता पाई गई परंतु घटना दिनांक का कोई भी दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है न ही यह स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त एफआईआर लेख कराने में अथवा पुलिस को सूचना दिये जाने में क्यो विलंब हुआ।

16. इस स्थिति में जबकि घटना दिनांक को ही चिकित्सक विजयराघ ावगढ द्वारा एमएलसी किये जाने के पश्चात् सूचना न ही पुलिस को दी गई न ही अन्य वाहन से सडक दुर्घटना होने का कोई तथ्य उल्लेखित किया गया है। उपरोक्त स्थितियों में आवेदकगण द्वारा मौके एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता कि प्रश्नगत वाहन से घटना दिनांक को दुर्घटना कारित हुई बल्कि फॉल फ्राम बाईक अर्थात् मोटरसायकिल से गिरकर दुर्घटना होना प्रकट हो रहा है। इस संबंध में **न्यायादृष्टांत अल्का शुक्ला विरूद्ध लाईफ इश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया सिल अपील नं. 3413 / 2019 निर्णय दिनांक 24 अप्रैल 2019 (2019) 6 एससीसी 64:(2019) (CIV) 94:2019 एससीसी ऑनलाईन एससी 589** में "The Spouse of the appellant wheel riding his motorcycle, experienced pain in the chest chest and shoulder, suffered a heart attack and fell from the motorcycle and collapsed on the way to the hospital referred to by the doctor - The insurance policy inter alia, postulated that a claim on account of the accident benefit was payable only if () assured sustains a bodily injury; (i1) injury solely and directly results from an accident; (ii) accident is caused by outward, violent and visible neans; (iv) injury solely, directly and independently of all other causes results in

the death of the assured - In the present case, held there was no evidence to show that any bodily injuries were suffered due to the fall from the motorcycle or that they led to the assured suffering a heart attack or that the accident took place as a result of any outward, violent and visible means Held, in the absence of any evidence to the contrary, the medical evidence on record was itself proof that the insured died due to a heart attack and not due to an accident of falling from the motorcycle and the heart attack had a distinct effect of the insured falling off from his motorcycle-Thus, the claimant not entitled to accident benefit cover Consumer Protection Services - Insurance Words and Phrases "Accident, "accidental means" and "accidental result. के सिद्धांत अवलोकनीय है।

17. उपरोक्त समस्त परिस्थितियों से यह भली भांति प्रमाणित नहीं होता है कि प्रश्नगत वाहन से दिनांक 23.02.2022 का दोपहर लगभग 12–1 बजे स्थान मेन रोड ग्राम पथरहआ के पास अंतर्गत थाना बरही, जिला कटनी म.प्र. में अनावेदक 1 ने स्वयं के स्वामित्व के वाहन मोटर सायकिल कमांक MP21 ME 3403 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाते हुये विजय सिंह गौड़ को टक्कर मारकर दुर्घटना मारकर दुर्घटना ग्रस्त किया जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना में आई चोटों के कारण विजय सिंह गोंड की मृत्यु कारित हुई। उपरोक्तानुसार वादप्रश्न कमांक 1 का निष्कर्ष नकारात्मक एवं वादप्रश्न कमांक 2 का सकारात्मक रूप से निष्कर्षित किया किया जाता है।

<u>वाद प्रश्न कमांक 03 एवं 04 के निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार</u>

18. दुर्घटना के समय मृतक की आयु आवेदन में 20 वर्ष होना लेख की गयी है। इसी अनुसार आवेदक साक्षी मोहन सिंह गोंड द्वारा अपने कथन की कंडिका 03 में भी 20 वर्ष होना लेख किया है। चूंकि अभिलेख पर आवेदकगण द्वारा मृतक की

आयु के संबंध में कोई प्रमाण पृथक अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं है। इस स्थिति में मृतक की उम्र का निर्धारण शव परीक्षण में उल्लेखित उम्र से ही किया जा सकता है और शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रपी–12 में मृतक की उम्र चिकित्सक द्वारा 19 वर्ष होना लेख किया गया है। अतः मृतक विजय सिंह गोंड की आयु घटना के समय 19 वर्ष होना प्रमाणित मान्य की जाती है।

19. जहां तक मृतक के 10,000/– रूपये प्रतिमाह आय का प्रश्न है। आवेदक साक्षी मोहन सिंह गोंड द्वारा अपने कथन की कंडिका 03 में मृतक विजय सिंह गोंड द्वारा दुर्घटना के समय कारपेन्टर के कार्य से 10,000/–रूपये प्रतिमाह आमदनी प्राप्त करना प्रकट किया है परंतु आय के संबंध में आवेदकगण की ओर से आय स्त्रोत एवं प्रमाण अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इस स्थिति में दुर्घटना दिनांक 23.02.2022 की है। घटना वर्ष 2022 को दृष्टिगत रखते हुये **न्याय दृष्टांत गोविंद यादव वि. न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिमिटिड (2011)10 एस.सी.सी.683** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार जहां मृतक की आमदनी के बारे में कोई विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध न हो, वहां न्यूनतम मदजूरी जो एक मजदूर को दी जाती थी, को नोशनल इन्कम मानकर प्रतिकर दिलाया जा सकता है। मृतक की उम्र सक्षमता के संबंध में कोई आपत्ति न होने से मृतक की उम्र नियमित आवश्यक मजदूरी कार्य करके भी 8,000/– रूपये प्रतिमाह आय अर्जित कर लेता होगा। अतः मृतक की मासिक आमदनी 8,000/– रूपये प्रमाणित मान्य की जाती है।

वाद प्रश्न कमांक 05 के निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार

20. जहां तक वाहन के घटना दिनांक को बीमित होने का प्रश्न है अनावेदकगण द्वारा बीमित होने से न हीं इंकार किया गया है न ही स्वयं बीमा कंपनी द्वारा वाहन के बीमित होने से इंकार किया गया है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण के दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपि में संपत्ति जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–10 के अनुसार प्रश्नगत वाहन चालक उमेश कुमार कुशवाहा से ड्रायविंग लायसेंस एवं बीमा पॉलिसी, रजिस्ट्रेशन कार्ड जप्त किया जाना प्रकट हो रहा है जिसमें बीमा की प्रति अभिलेख पर प्रस्तुत की गयी जिसमें पॉलिसी MN383599 जो मिस्टर उमेश कुमार कुशवाहा .के नाम बीमित होकर दिनांक 05.01.2022 से मध्य रात्रि 04.01.2023 तक

प्रश्नगत वाहन बीमित होना प्रकट हो रहा है चूंकि घटना दिनांक 23.02.2022 की है। उक्त स्थिति में घटना दिनांक को वाहन का बीमित होना स्पष्ट रूप से प्रमाणित।

21. जहां तक घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 1 के पास वैध ड्रायविंग लायसेंस न होने का प्रश्न है। उक्त संबंध में जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी–10 के अनुसार जप्त चालक का ड्रायविंग लायसेंस क्रमांक एम.पी. 21 एन.–2014– 00002627 जिसकी वैधता दिनांक 08.01.2034 तक होना जप्ती पंचनामा में उल्लेखित किया गया है। चूंकि ड्रायविंग लायसेंस की प्रति भी अभिलेख पर प्रस्तुत की गयी है जिसके अवलोकन से भी प्रकट हो रहा है कि अनावेदक क्रमांक 1 वाहन चालक उमेश कुमार कुशवाहा के नाम से दिनांक 09.01.2014 को ड्रायविंग लायसेंस जारी किया गया है जो दिनांक 08. 01.2034 तक वैध होना स्पष्ट हो रहा है। इस स्थिति में घटना दिनांक को वाहन को बीमा की शर्तों के उल्लघंन में चालन किया जाना अभिलेख पर बीमा कंपनी प्रमाणित करने में असफल रही। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 05 में वाहन के बीमित होने के संबंध में सकारात्मक एवं बीमा की शर्तों के उल्लघंन में चलाये जाने के संबंध नकारात्मक रूप से निष्कर्षित किया जाता है। परंतु प्रश्नगत वाहन से दुर्घटना प्रमाणित न होने के कारण वाहन के बीमित होने के कारण अनावेदकगण क्षतिपूर्ति के उत्तरदायी नहीं है।

<u>वाद प्रश्न क्रमांक 06 के निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार</u>

22. जहां तक क्षतिपूर्ति के उत्तरदायित्व का प्रश्न है। मृतक विजय सिंह गोंड आवेदिका क्रमांक 1 व 2 का पुत्र होकर आवेदक क्रमांक 3 का भाई है, और वयस्क एवं अविवाहित होकर, हष्ठ पुष्ट होकर आय अर्जित करने में सक्षम था, और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। इस प्रकार आवेदकगण को उसके उपर आश्रित होना स्पष्ट किया गया है। चूंकि आवेदक क्रमांक 3 मृतक का बडा भाई होकर वयस्क है और आय अर्जन करने में सक्षम है अतः आवेदक क्रमांक 3 को मृतक पर आश्रित नहीं माना जा सकता। इसके अलावा जबकि अनावेदकगण की ओर से इस संबंध में कोई आधार नहीं दिया गया है कि मृतक पर अन्य आवेदकगण आश्रित नहीं थे इस प्रकार जहां संयुक्त परिवार होना प्रकट करते हुए मृतक पर आश्रितता प्रकट की गयी है। चूंकि दुर्घटना प्रश्नगत वाहन से होना प्रमाणित नहीं पाया गया है। दुघ टिना प्रश्नगत वाहन से प्रमाणित न होने से उक्त राशि आवेदकगण, अनावेदकगण से

प्राप्त करने की पात्र नहीं है।

गुणांक

23. इस प्रकार मृतक विजय सिंह गोंड की उम्र 19 वर्ष होने पर **न्यायदृष्टांत–रेशमा कुमारी विरूद्ध मदन मोहन 2013 ACJ 1253 में सरला वर्मा के न्यायदृष्टांत** में तैयार टेबिल के कॉलम नंबर 04 सहपठित निर्णय कंडिका क्रमांक 21 के अनुसार 15 से 20 वर्ष तक 18 का गुणांक लगाया जाना अपेक्षित है। अतः उपरोक्तानुसार गुणांक निर्धारित किया गया है।

भविष्य की संभावना

24. भविष्य की संभावनाओं के बारे में चूंकि मृतक विजय सिंह गोंड की उम्र 15 से 20 के मध्य 19 वर्ष है। अतः 40 वर्ष से कम उम्र की दशा में वास्तविक आय का 40 प्रतिशत ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत–**नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध प्रणय सेठी 2017(4) MACD-1375 (SC) चरण क्रमांक 61(4)** के अनुसार 40 प्रतिशत जोड़ा जाये।

व्यक्तिगत जीवन निर्वाह खर्च

25. व्यक्तिगत जीवन में निर्वाह खर्च के संबंध में न्यायदृष्टांत– **रेशमा कुमारी विरूद्ध मदन मोहन 2013 ACJ1253 निर्णय की कंडिका 39 एवं निर्णय सरला वर्मा की कंडिका 14 एवं 15 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार** मृतक की बीच आश्रितों के आधार पर इस प्रकरण में मृतक के 1 से 2 आश्रित होने पर उसकी आय का 1/2 भाग उसके व्यक्तिगत जीवन निर्वाह खर्च में पृथक किया जायेगा। इस प्रकरण में मृतक पर दो आश्रित होना स्पष्ट है। इस प्रकार व्यक्तिगत जीवन निर्वाह 1/2 पृथक किया जावे।

सहचर्य की हानि

26. चूंकि मृतक विजय सिंह गोंड आवेदक क्रमांक 1 वं 2 का पुत्र है। परंतु **न्यायदृष्टांत shriram gic ltd vs bhagat singh hon'ble supreme court of india civil appeal no. 2410-2412/2023 Order dated March 27, 2023 अवलोकनीय है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा निम्नानुसार सिद्धांत पारित किया गया**

है: " Learned counsel for the respondents did endeavour to persuade us that it should be per the legal heir by relying on Magma General Insurance company Ltd. V. Nanu Ram alias Chuhru Ram & ors. 2018 SCC online SC 1546. We are, however, of the view that the total amount has to be assigned under a particular heading and that will go depending on the number of legal heirs present. The amounts fixed in terms of pranay Sethi's case (supra) are Rs. 50,000/- and Rs. 40,000/- respectively under the two heads and that should be the total amount payable. Having said so, learned counsel for the respondent points out that this amount so determined by us is liable to be enhanced by a percentage of 10 percent every three years as opined in para 61 (vill) of the judgment in pranay Sethi's case (supra) which reads as under: 61(viii) Reasonable figures on conventional heads, namely, loss of estate, loss of consortium and funeral expenses should be Rs. 15,000/- Rs. 40,000/- and Rs. 15,000/- respectively. The aforesaid amounts should be enhanced at the rate of 10% in every three years." The aforesaid position is not disputed by learned counsel for the appellant. thus, this escalation on accounts of interest would also to be admissible for the benefit of the respondents from the date of the award which will mean that in the present case there will be two escalations of 10 per cent each. **न्यायदृष्टांत Iffco-tokio vs budhwariya bai MA No. 573/2022 hon'ble mp high court jabalpur on the 21st of june , 2022 भी अवलोकनीय है जिसमें माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा निम्नानुसार सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि** As far as, second ground is concerned, though shri Kapil Patwardhan has placed reliance on ratio of law laid down by the Hon'ble Supreme Court in case of Magms General Insurence co. Ltd (supra) but in my humble opinion that will not superceed Constitution Bench judgment of Supreme Court in case of National Insurance Co.

Ltd Vs. Pranay Sethi and Ors, (2017) ACJ 2700, therefore, claimants are entitled only to a sum of Rs. 70,000/- under the head of non-pecuniary compensation and not at the rate of Rs 2,09,000/- as has been awarded by learned Claims Tribunal. अतः उपरोक्त न्यायदृष्टांत के सिद्धांतों के अनुसार केवल माता को सहचर्य की हानि के मद में क्षतिपूर्ति दिलाया जाना अपेक्षित है। अतः आवेदक कमांक 2 छोटीबाई गोंड मृतक की माता को सहचर्य की हानि के मद में 44,000 / – रूपये क्षतिपूर्ति निर्धारित की जाती है।

27. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध प्रणय सेठी 2017(4) MACD-1375 (SC) चरण कमांक 61(4) एवं दाह संस्कार के खर्च मद में 16,500 / – रूपये राशि निर्धारित की जाती है एवं संपदा के मद की हानि में 16,500 / – रूपये निर्धारित की जाती है।

28. यदि आवेदकगण अपना दावा प्रमाणित करने में सफल होते तो निम्नलिखित तालिका अनुसार अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी होते। चूंकि दुर्घटना प्रश्नगत वाहन से होना प्रमाणित नहीं पाया गया है। दुर्घटना प्रश्नगत वाहन से प्रमाणित न होने से उक्त राशि आवेदकगण, अनावेदकगण से प्राप्त करने की पात्र नहीं है।

कं.	**शीर्ष**	**राशि**
1.	वेतन	8,000 / –रूपये प्रतिमाह
2.	भविष्य की संभावना	3200
3.	व्यक्तिगत जीवन निर्वाह खर्च की कटौती	कुल आय 11,200–5600 =5,600 / –
4.	18 का गुणांक प्रयुक्त करने पर प्रतिकर	5600 x12 x18 = 12,09,600 / –
5.	सहचर्य हानि या कन्सोसियम	मृतक की माता को 44,000 / – = 44,000/-
6.	दाह संस्कार खर्च	16,500 / –
7.	सम्पदा की हानि	16,500 / –

8.	**कुल प्रतिकर**	**12,86,600 / –(बारह लाख छियासी हजार छः सौ रूपये)**

वाद प्रश्न क्रमांक 07 का निष्कर्ष

:: सहायता एवं वाद व्यय ::

29. उक्त सम्पूर्ण विवेचना से यह अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आवेदकगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे है कि घटना दिनांक 23.02.2022 का दोपहर लगभग 12–1 बजे स्थान मेन रोड ग्राम पथरहटा के पास अंतर्गत थाना बरही, जिला कटनी म.प्र. में अनावेदक 1 ने स्वयं के स्वामित्व के वाहन मोटर सायकिल क्रमांक MP21 ME 3403 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाते हुये विजय सिंह गौड़ को टक्कर मारकर दुर्घटना मारकर दुर्घटना ग्रस्त किया जिसके परिणामस्वरूप दुघटना में आई चोटों के कारण विजय सिंह गोंड की मृत्यु कारित हुई।

30. अतः आवेदकगण अपना आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 166 मोटर यान अधिनियम प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। अतः आवेदकगण का दावा निरस्त किया जाता है।

(स) उभयपक्षा अपना अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

(द) तद्नुसार व्यय तालिका तैयार की जावे।

नोटः– डिजिटल हस्ताक्षर की अवधि समाप्त होने एवं कार्य न होने के कारण निर्णय में डिजिटल हस्ताक्षर नहीं किये जा सके।

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
व हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(के.एन. अहिरवार)
सदस्य / –तृतीय मो0दु0दा0अधिकरण
श्रृंखला न्यायालय कटनी (म.प्र.)

(के.एन. अहिरवार)
सदस्य / –तृतीय मो0दु0दा0अधिकरण
श्रृंखला न्यायालय कटनी (म.प्र.)